ई–मेल/स्पीडपोस्ट/महत्वपूर्ण

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–1687/सी0ई0ओ0–4–72/4–2026 लखनऊः दिनांकः 14 नवम्बर, 2026

सेवा में

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी (BLO)/बी0एल0ओ0 सुपरवाइजर (BLO Supervisor)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने, त्रुटियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण, मानदेय में कटौती तथा जन–सहभागिता के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–1440/सी0ई0ओ0–4–72/4–2026 दिनांक 15.10.2026 एवं पत्र संख्या–1630/सी0ई0ओ0–4–72/4–2026 दिनांक 06.11.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 के अंतर्गत दिनांक 17 नवम्बर, 2026 से 16 दिसम्बर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्वाचक नामावली की शुद्धता, विश्वसनीयता एवं त्रुटिरहित होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है। अतः इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (BLO), बी0एल0ओ0 सुपरवाइजर (BLO Supervisor), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा उच्चतम स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

3– आप अवगत हैं कि स्थलीय सत्यापन एवं प्रपत्रों के निस्तारण में लापरवाही के कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियां, जेंडर बदल जाने सम्बन्धी त्रुटियां, नाम, आयु एवं पते संबंधी त्रुटियां, अनुचित सम्मिलन/अपमार्जन तथा अन्य गंभीर त्रुटियां परिलक्षित होती हैं, जिससे निर्वाचक नामावली की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं। ऐसी त्रुटियों के लिए संबंधित अधिकारी/कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है।

1. बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के संबंध में

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 के संदर्भ में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के कार्यों के मूल्यांकन एवं उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु दिनांक 17 नवम्बर, 2026 से 16 दिसम्बर, 2026 (दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि) को आधार माना जाए। यदि इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की लापरवाही अथवा दोषपूर्ण कार्य के कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियां, जेंडर बदल जाने सम्बन्धी प्रविष्टियां, नाम, आयु एवं पते संबंधी त्रुटियां, अनुचित सम्मिलन/अपमार्जन तथा अन्य गंभीर त्रुटियां पाई जाती हैं, तो त्रुटियों की संख्या एवं गंभीरता के अनुसार संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के उक्त अवधि के मानदेय में अधिकतम संपूर्ण अवधि (एक माह) तक के मानदेय की कटौती की जाए।

2. बी0एल0ओ0 सुपरवाइजर (BLO Supervisor) के संबंध में

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 के संदर्भ में बी0एल0ओ0 सुपरवाइजर (BLO Supervisor) के कार्यों के मूल्यांकन एवं उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु दिनांक 17 नवम्बर, 2026 से

16 दिसम्बर, 2026 (दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि) को आधार माना जाए। यदि इस अवधि में BLO Supervisor की लापरवाही अथवा दोषपूर्ण कार्य के कारण एक ही घर में रहने वाले परिवारों को जो अलग–अलग मतदान केन्द्रों/अनुभागों में होने संबंधी गंभीर त्रुटियां पाई जाती हैं, तो त्रुटियों की संख्या एवं गंभीरता के अनुसार संबंधित BLO Supervisor के उक्त अवधि के मानदेय में अधिकतम संपूर्ण अवधि (एक माह) तक के मानदेय की कटौती की जाए।

3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (**ERO**) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (**AERO**) के संबंध में

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 के संदर्भ में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के कार्यों के मूल्यांकन हेतु निर्वाचक नामावली फ्रीज होने के दिनांक 07 नवम्बर, 2026 से अंतिम प्रकाशन के दिनांक 04 जनवरी, 2027 की अवधि को आधार माना जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि प्रभावी पर्यवेक्षण, गुणवत्तापरक नियंत्रण अथवा प्रपत्रों के परीक्षण एवं दावे और आपत्तियों के स्वीकृति/अस्वीकृति में लापरवाही के कारण गंभीर त्रुटियां परिलक्षित हो रहीं हैं, तो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके मानदेय से उक्त अवधि (लगभग दो माह) के आनुपातिक (Pro-rata) मानदेय की अधिकतम कटौती की जाएगी।

4. गुणवत्ता परीक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचक नामावली का नियमित गुणवत्ता परीक्षण (Quality Audit) कराया जाए तथा प्रत्येक गंभीर त्रुटि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। यदि किसी भी स्तर पर पर्यवेक्षण में शिथिलता पायी जाती है तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा।

5. जन–सहभागिता एवं प्रोत्साहन

निर्वाचक नामावली को अधिकाधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने हेतु आमजनों की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। नागरिकों को अधिकाधिक संख्या में वास्तविक त्रुटियों की सूचना देने के लिए प्रेरित किया जाए। सत्यापन उपरांत सर्वाधिक वास्तविक त्रुटियां चिन्हित करने वाले नागरिक/व्यक्ति को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा, ताकि जनसहभागिता के माध्यम से निर्वाचक नामावली को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने में सहायता मिल सके।

अतः उक्त निर्देशों को समस्त संबंधित के संज्ञान में लाते हुए कड़ाई से अनुपालन कराते हुए यह सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित हो। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
NAVDEEP RINWA
Date: 14-11-2026
20:46:22

(नवदीप रिणवा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी